प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 03.11.2025

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.09.2025 को थाना मुरादनगर पर SUNIL KUMAR (STATIC MAJISTRATE PET-2025 PURNGYANAJALI International School Block B परीक्षा केन्द्र कोड 28239) द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त कुलदीप पुत्र रामकिशन नि0 किशनदासपुरा जलालपुर फिरोजाबाद उ0प्र0 उम्र करीब 19 वर्ष द्वारा अभ्यर्थी टेकराम पुत्र रामकिशन निवासी किशनदासपुरा जलालपुर फिरोजाबाद उ0प्र0 के स्थान पर षडयन्त्र कर धोखाधडी से प्रवेश पत्र में जालसाजी कर PET परीक्षा देते हुए पकड़े जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 319,318(2),336(2),340(2),61(2) बीएनएस व 6,10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधि0 1998 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त को दिनांक 07.09.2025 को उपरोक्त अभियोग में जेल भेजा गया था तथा अभियुक्त टेकराम की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 03.11.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त टेकराम पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम किशनदासपुरा जलालपुर थाना मठसेना जिला फिरोजाबाद उ0प्र0 उम्र करीब 20 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरा भाई कुलदीप पुत्र रामकिशन निवासी किशनदासपुरा जलालपुर फिरोजाबाद उ0प्र0 द्वारा मेरे स्थान पर षडयन्त्र कर धोखाधडी से प्रवेश पत्र में जालसाजी कर PET परीक्षा देते हुए पकड़ा गया था। मैं गिरफ्तारी से बचने के लिये अबतक छुपा हुआ था।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता –

टेकराम पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम किशनदासपुरा जलालपुर थाना मठसेना जिला फिरोजाबाद उ0प्र0 उम्र करीब 20 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.10.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त सक्षम उर्फ सन्तोष कुमार पाण्डेय द्वारा वादिया को अपने विश्वास में लेकर तथा नशीला पदार्थ खिलाकर वादिया के साथ दुष्कर्म करना तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करके रुपये ले लेना व यौन शोषण करना और वादिया के गर्भवती हो जाने पर गर्भपात करा देना तथा वादिया के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 64(1)/308(2)/89/123/115(2)/351(2)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 03.11.2025 को थाना अंकुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सक्षम उर्फ सन्तोष कुमार पाण्डेय पुत्र सुनीत कुमार पाण्डेय निवासी प्लॉट न0-28 केशव कॉम्पलेक्स थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को थाना अंकुर विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं और पीडिता आपस में एक-दूसरे से परिचित हैं। पीड़िता मेरी बहन की दोस्त भी थी। पीड़िता अपने फ्लैट में अकेली रहती थी। मेरा अक्सर पीड़िता के घर पर आना जाना रहता था। मेरे पीड़िता के साथ शारीरिक सम्बन्ध हो गये थे और जब वह गर्भवती हो गयी तो मैंने उसे गर्भपात की दवाई खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सक्षम उर्फ सन्तोष कुमार पाण्डेय पुत्र सुनीत कुमार पाण्डेय निवासी फ्लॉट न0 28, केशव काम्पलेक्स, डीएलएफ थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मारपीट कर शान्ति भंग करने वाले 10 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02.11.2025 को थाना लोनी क्षेत्र के कस्बा रुपनगर में दो पक्षों द्वारा आपस में बच्चो के झगडे को लेकर एक दूसरे के साथ लाठी डण्डे से मारपीट कर शान्ति व्यवस्था भंग की गई जिसके सम्बंध में थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा दोनो पक्षों के अभियुक्तगण 1-अफजाल पुत्र इकराम उम्र करीब 42 वर्ष 2. नौमान पुत्र इमरान उम्र करीब 38 वर्ष 3. फरदीन पुत्र इस्लाम उम्र करीब 24 वर्ष 4. नफीश पुत्र इस्लाम उम्र करीब 43 वर्ष 4. राशिद पुत्र इकराम उम्र करीब 37 वर्ष 6. जावेद पुत्र नफीश उम्र करीब 25 वर्ष 7. सलमान पुत्र इस्लाम उम्र करीब 32 वर्ष 8. दिलशाद पुत्र इकराम उम्र करीब 33 वर्ष 9. नौशाद पुत्र इमरान उम्र करीब 38 वर्ष 10. अनीश पुत्र इस्लाम उम्र करीब 43 वर्ष व कुछ महिला व

पुरुष अज्ञात नाम पता नामालूम के विरूद्ध थाना लोनी पर सुसंगत धारा 191(2),191(3),125,110 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया जिसमें तत्काल कार्यवाही करते हुये उपरोक्त घटना में संलिप्त 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ के दौरान दोनो पक्षों के अभियुक्तगण ने बताया कि हमारा हमारे बच्चो के आपसी झगडे को लेकर आपस मे विवाद व मारपीट हो गयी थी।

प्रथम पक्ष के गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.अफजाल पुत्र इकराम निवासी मदरसा के पास रूपनगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष 2. नौमान पुत्र इमरान निवासी मदरसा के पास रूपनगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष

3. राशिद पुत्र इकराम निवासी मदरसा के पास रूपनगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष
4. दिलशाद पुत्र इकराम निवासी मदरसा के पास रूपनगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष
5. नौशाद पुत्र इमरान निवासी मदरसा के पास रूपनगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष

द्वितीय पक्ष के गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता--

1. जावेद पुत्र नफीश निवासी मदरसा के पास रूपनगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष ,
2. सलमान पुत्र इस्लाम निवासी मदरसा के पास रूपनगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष,
3. फरदीन पुत्र इस्लाम निवासी मदरसा के पास रूपनगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष,
4. नफीश पुत्र इस्लाम निवासी मदरसा के पास रूपनगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 43 वर्ष ,
5. अनीश पुत्र इस्लाम नि० मदरसा के पास रूपनगर थाना लोनी कमि० गाजियाबाद उम्र 43 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

यातायात माह के अंतर्गत प्रवर्तन की कार्यवाही

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश एवं यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के निर्देशन व पुलिस उपायुक्त, यातायात के पर्यवेक्षण में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के संबंध में आमजनों, वाहन चालकों एवं छात्र/छात्राओं को जागरूक करने तथा यातायात नियमों का पालन कराये जाने हेतु दिनांक 01.11.2025 से 30.11.2025 तक यातायात माह मनाया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 03.11.2025 को गाजियाबाद यातायात पुलिस द्वारा प्रभावी यातायात प्रवर्तन अभियान (Traffic Enforcement Drive), जागरूकता कार्यक्रम (Awareness Programme) चलाया गया। अभियान के दौरान सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी तथा आमजनों/ऑटो चालकों /छात्र/ छात्राओं को यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया।

अभियान के अंतर्गत निम्न कार्यवाही की गयी –

- बिना हेलमेट कुल 1,452 वाहनों के चालान
- बिना सीट बेल्ट कुल 176 वाहनों के चालान

- मोबाइल फोन प्रयोग कुल 24 वाहनों के चालान
- रॉंग साइड कुल 368 वाहनों के चालान
- तीन सवारी कुल 148 वाहनों के चालान
- काली फ़िल्म कुल 91 वाहनों के चालान
- बिना बीमा कुल 18 वाहनों के चालान
- बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र कुल 95 वाहनों के चालान
- बिना लाइसेंस कुल 37 वाहनों के चालान
- हूटर सायरन/ प्रेशर हॉर्न कुल 97 वाहनों के चालान
- जाति सूचक शब्द कुल 136 वाहनों के चालान
- नो पार्किंग कुल 519 वाहनों के चालान

इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस द्वारा यातायात माह के अंतर्गत प्रत्येक दिन प्रभावी जागरूकता कार्यक्रम जैसे:-

- व्यापक जागरूकता प्रचार-प्रसार अभियान के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, चौराहों/तिराहों, यातायात प्रबंधन पर चित्रकला एवं क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं सिनेमा हॉल में जागरूकता कार्यक्रम।
- ट्रक, बस, ऑटो चालकों, ट्रैक्टर मालिक/चालकों के आँखों व कानों की जांच एवं यातायात नियमों के सम्बन्ध में जागरूक करना।
- सड़कों पर अभियांत्रिकी कमी को पूर्ण किये जाने हेतु अंतरविभागीय समन्वय गोष्ठियाँ आयोजित कर लघुकालिक एवं दीर्घकालिक सुधार योजना बनाना।
- आपातकालीन स्थिति में उचित सहायता प्रदान किये जाने हेतु यातायात कर्मियों को फर्स्ट एड एवं गोल्डन ऑवर के सम्बन्ध के प्रशिक्षित करना तथा आमजनों को गुड सेमेरिटन के सम्बन्ध में व्यापक जानकारी प्रदान करना।
- ट्रान्सपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों/सदस्यों के साथ गोष्ठी आयोजित किये जायेंगे।

यातायात माह के दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाने के साथ साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अपील :-

यातायात पुलिस सभी आमजनों से अपील करती है, कि सदैव यातायात नियमों का पालन करें एवं गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुगम बनाये जाने में यातायात पुलिस का सहयोग करें।

यातायात पुलिस गाजियाबाद सदैव सुगम एवं सुरक्षित यातायात के लिये प्रतिबद्ध है।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान लूट/स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चोरी की मोटरसाइकिल व लूट/स्नैचिंग से सम्बन्धित 2,500/- रु0 बरामद।

आज दिनांक **03.11.2025** को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत रूटीन चेकिंग में टीम बनाकर वैशाली सेक्टर **2/5** की पुलिया पर संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की संघन चेकिंग की जा रही थी। उसी क्रम में एक बिना नम्बर की मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। जिसे मौजूद पुलिस टीम द्वारा रुककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन मोटरसाइकिल चालक के द्वारा मोटरसाइकिल को ना रोकते हुए बहुत तेज गति से एलीवेटेड की नीचे कच्चे रास्ते पर भगाया गया । जिसके क्रम में पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल का पीछा किया गया। आगे जाकर मोटरसाइकिल गड्ढे में फिसल कर गिर गई तथा दो बदमाशों ने भागते हुए अपने आप को घिरता हुआ देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जिसके क्रम पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। तत्काल ही उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा साहस का परिचय देते हुए दोनों बदमाशों को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम हसन उर्फ जावेद उर्फ जाबिर पुत्र साबिर नि**0** ग्राम लाखौरी थाना नखासा जनपद सम्भल तथा दूसरे ने अपना नाम उमर पुत्र फरीद नि**0** डिबाई नगर गली न**0 14** थाना नौचंदी जनपद मेरठ बताया। जिनके कब्जे से **01** अदद तमंचा**, 01** जिन्दा कारतूस**, 01** खोखा कारतूस**,** घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल व लूट/स्नैचिंग से सम्बन्धित **2,500/-** रु**0** बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि ये दोनों गाजियाबाद व एनसीआर क्षेत्र में लूट/स्नैचिंग व चोरी की घटना कारित करते हैं। दिनांक **28** अक्टूबर को थाना क्षेत्र कौशाम्बी में हुई मोबाइल स्नेचिंग की घटना कारित की गई थी तथा चोरी की मोटरसाइकिल को दिनांक **27** जुलाई को डाबर तिराहे के पास से चोरी किया। गिरफ्तार अभियुक्तों से अन्य जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. हसन उर्फ जावेद उर्फ जाबिर पुत्र साबिर नि**0** ग्राम लाखौरी थाना नखासा जनपद सम्भल उम्र करीब **28** वर्ष

2. उमर पुत्र फरीद नि**0** डिबाई नगर गली न**0 14** थाना नौचंदी जनपद मेरठ उम्र करीब **25** वर्ष

बरामदगी का विवरण

01 तमंचा**, 01** जिन्दा कारतूस**, 01** खोखा कारतूस**,** घटना में प्रयुक्त **01** चोरी की मोटरसाइकिल व लूट/स्नैचिंग से सम्बन्धित **2,500/-** रु**0** बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

* गिरफ्तार अभियुक्त जावेद उपरोक्त के विरुद्ध गाजियाबाद एनसीआर क्षेत्र में लूट, स्नैचिंग आदि से सम्बन्धित लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

* गिरफ्तार अभियुक्त उमर उपरोक्त के विरुद्ध मेरठ क्षेत्र में मारपीट आदि से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।